

जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा।

(गोपनीय शाखा)

आदेश

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नाला द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में निम्न नोटिफाईड कंटेनमेंट जोन को तत्काल प्रभाव से डिनोटिफाई किया जाता है:-

1. आदेश ज्ञापांक 686 गो0(आ0) दिनांक 19.07.2020 के द्वारा ग्राम डीमजुड़ी एवं ग्राम डाबर सभी प्रखण्ड नाला।
2. आदेश ज्ञापांक 711 गो0(आ0) दिनांक 04.08.2020 के द्वारा ग्राम देवली, पं0 कुलडंगाल प्रखण्ड नाला।

उक्त के अलावे जामताड़ा सदर थाना को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 789 गो0(आ0) दिनांक 30.08.2020 द्वारा दिनांक 29.08.2020 से तीन दिनों के लिए सील किया गया था, अवधि पूर्ण हो जाने के कारण उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

उपायुक्त
जामताड़ा।

ज्ञापांक.....808...../गो0 (आ0), दिनांक.....04/09/2020.....

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा/ उप विकास आयुक्त-सह-वरीय प्रभारी (COVID-19) जामताड़ा/ अपर समाहर्ता, जामताड़ा/ अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा/ नाला/ सिविल सर्जन, जामताड़ा/ जिला कृषि पदाधिकारी, जामताड़ा/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा/ अंचल अधिकारी, जामताड़ा/ श्री प्रधान मांड़ी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, जामताड़ा/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत जामताड़ा/ नगर परिषद मिहिजाम/ सभी प्रभारी प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी/ थाना प्रभारी अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों/ कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

उपायुक्त
जामताड़ा।